

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(32)ग्रावि/नरेगा/ब.घोषणा/2021-22/पार्ट-4

जयपुर, दिनांक 29 MAR 2022

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :- बारां जिले में निवासरत "सहरिया एवं खैरुआ" जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौडी जनजाति परिवारों एवं राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा बारां जिले में निवासरत "सहरिया एवं खैरुआ" जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत "कथौडी" जनजाति परिवारों एवं राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात नियमानुसार रोजगार की माँग किये जाने पर 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से अर्थात् कुल 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य मद से 100 दिवस के अतिरिक्त रोजगार के लिए कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित कराने का श्रम करावे :-

1. उक्त अतिरिक्त रोजगार के लिए मस्टररोल नियमानुसार नरेगा सॉफ्ट से ही जारी की जायेगी।
2. जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति यह सुनिश्चित करेंगे कि 100 दिवस का यह अतिरिक्त रोजगार केवल उक्त वर्णित परिवारों को ही उपलब्ध कराया जावे, ये परिवार स्पष्ट रूप से चिन्हित किये जावे एवं अन्य परिवारों को योजनान्तर्गत नियमानुसार 100 दिवस का रोजगार ही दिया जावे।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 102201533 दिनांक 21.03.2022 से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अभिषेक भगोतिया)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित कर निवेदन है कि राज्य मद से 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु नरेगा सॉफ्ट में उचित प्रावधान कराये जाने का श्रम करावे।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस को भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही हेतु।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. सहायक निदेशक (आईईसी) को प्रेषित कर लेख है कि प्रेस नोट रिलीज करने की व्यवस्था करें।
8. श्री रिकू छीपा, प्रोग्रामर ईजीएस को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

परि.निर्दे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस